



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेंडा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट— <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. — 0755-2462136

No: 1320

SEIAA/2022

Date: 4/8/22

प्रति,

सदस्य सचिव,  
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),  
अनुसंधान एवं विकास विंग,  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेंडा कॉलोनी,  
भोपाल (म.प्र.) — 462016

**विषय:** प्रकरण क्र. 9215/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी पहाड़सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की 739वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

....The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same."

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से SEAC द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण SEAC को परीक्षण हेतु अंग्रेजित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण SEAC समिति से पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 132 /SEIAA/2022 दिनांक — 4/8/22

प्रतिलिपि:-

श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी पहाड़सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.)।

सदस्य सचिव